

Registration no: (23014002023823140122) Date: (19-08-2023) Valid till: (19-8-2026)



**जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | PATNA
शिक्षा विभाग, विहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र**



सेवा मे

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

ST. MICHAEL'S HIGH SCHOOL, PATNA

ST. MICHAEL'S HIGH SCHOOL

दिवय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education RTE), 2009 की धारा 13 के अन्योनार्थ दब्बों की मुफ्त हर अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्तीकृति का प्रमाण पत्र।

महाराज,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 23-08-2023 और उसके क्रम में आपने किये गए उत्तराधार हर विद्यालय के किये गए निर्विकल्प हर जिला स्तरीय विस्तृतीय समिति के दैठक दिनांक : 19-08-2023 में किये गए निर्वय के आलोक में आपके विद्यालय ST. MICHAEL'S HIGH SCHOOL, ST. MICHAEL'S HIGH SCHOOL, P.O. DIGHA GHAT, PATNA, 800011 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु दीन दर्वा 13-08-2023 से 13-4-2023 अद्यति के लिए औपचारिक प्रस्तीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्तीकृति निम्न गतों के अनुचालन के अधीन होगी।

1. प्रस्तीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर नाम्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त हर अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 द्वारा विकार राज्य द्वारा अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुचालन आदरण्ड रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुर्त क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने घोषणे के अन्तर्गत दर्वा हर अवधारकारी लन्हु के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त हर अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, यदि यह कि योग्य विद्यालय में पूर्ण प्रारम्भिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस नामक का अनुचालन पूर्ण प्रारम्भिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. केंद्रिका 3 में उपर्युक्त बच्चों के माध्यम से विद्यालय को बच्चों की मुफ्त हर अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपलब्धता 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालन करेगा।
5. सोसाइटी/ विद्यालय के द्वारा किसी द्रष्टव्य का कैरिएटर कीस नहीं छाप किया जाएगा तथा किसी भी द्रष्टव्य उसके नामांकन या अभिभावक का स्कॉरिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उच्च इमारत पत्र के अनुचालन नामांकन की विस्तृत अद्यति के बाद टथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इकाई नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे :

- (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में सेकंडरी नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्काशित किया जाएगा।
- (ii) किसी भी बच्चे को किसी द्रष्टव्य का शास्त्रीय दर्द नहीं दिया जाएगा तथा नामांकन रूप से प्रतापित नहीं किया जाएगा।
- (iii) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी द्रष्टव्य के दोहरी परीक्षा पास करने की आदरण्डता नहीं होगी।
- (iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने जाता प्रारम्भ बच्चा को नियम 11 के आलोक में इमारत पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (v) अधिनियम के द्वारावाने के आलोक में दियालय बच्चों का समारोहन किया जाएगा।
- (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 21 की उपलब्धता 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
- (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपलब्धता 1 में द्वारावान शिक्षकों के दायित्व तथा निर्वहन करेंगे।
- (viii) शिक्षक किसी भी रात या दिन की द्रष्टव्य की शिक्षक नामितार्थी में सेवा नहीं होगी।

8. विद्यालय के उत्तराधार अवधार तथा सामने आने सरकार द्वारा नियोजित प्रारम्भिक एवं अन्तर्वर्षीय एवं अनुचालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के द्वारावाने के आलोक में द्वारावान सुनियम के अनुरूप रूप से उपरोक्त कारणों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः

- (i) विद्यालय परिसर क क्षेत्रफल :- 21.54 डिसमिट
- (ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 21.54 डिसमिट
- (iii) खेत के मैदान क क्षेत्र :- PLAYGROUND, CANTEEN, SWIMMING POOL, SCIENCE LAB, COMPUTER LAB, LIFT, FIRE EXTINGUISER, CYCLE STAND, DIGITAL CLASSES, LANG LAB, SICK ROOM, ETC
- (iv) वर्ग कक्षों की कुल संख्या :- 56
- (v) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्ष :- 8
- (vi) बालक तथा बालिकाओं के तिये अलग-अलग शौचालय :- Indian , Boys :- 100 , Girls 74
- (vii) पेयजल की सुविधा :- 75
- (viii) मध्याह्न भोजन के तिये रसोई घर :- 0
- (ix) बाधारहित पहुँच.[] :-
- (x) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेत-कुद उपकरण/ पुस्तकालय :- , , (Y , 999 , NewsPaper MagaZine:- 35)

11. कोई भी अपस्थीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास केतिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्वाचित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पालिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. तेज्ज्वाला का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक तेज्ज्वाला विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिता शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्तीकृति कोड संख्या [23014002023823140122, 2023] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राधिक शिक्षा / जिता शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाय "माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्तीकृति की शर्तों के तगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्वाचित अनुदेशों का अनुपातन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निवंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुत्प्रक III के रूप में संतप्त अन्य शर्तें

NO G LETTER



१०१८१
विश्वास भाजन
ह०/-
जिता शिक्षा पदाधिकारी, PATNA
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार